(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 8037–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–9–2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर प्र0क0 5(1)2015–16/4019

मैसर्स एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड,
(फोरमर्ली ग्वालियर डिसीलर्स लिमिटेड)
रायरू फार्म आगरा मुम्बई रोड ग्वालियर–474010,
द्वारा : जनरल मैनेजर श्री पी0व्ही0 मुरलीधरन
आत्मज स्व0श्री व्ही.व्ही.एस.नम्बीसन
निवासी रायरू फार्म ग्वालियर म0प्र0

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....प्रत्यर्थी

श्री आर0के0उपाध्याय, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/16 **को पारित)**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा 2 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी इकाई को गुना प्रदाय क्षेत्र के जिलों में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र कमांक 5(1)1590 दिनांक 13–6–2015 को दी गई थी, जिसके लिये प्रदाय संविदाकर द्वारा शिवपुरी में देशी मदिरा विनिर्माणी भाण्डागार में मदिरा भराई की जाती थी । कलेक्टर जिला शिवपुरी ने अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 2085 दिनांक 1–9–2015 से अवगत कराया गया कि मद्यभाण्डागार शिवपुरी में भीषण आगजनी, दुर्घटना व जनहानि हुई थी, जिसमें अपीलार्थी इकाई को वेयर हाउस में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था नहीं होना, मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली 1962 के तहत लायसेंस प्राप्त न करना व कारखाना अधिनियम 1948 के अन्य प्रावधानों का पालन न करने का दोषी पाया गया । उपरोक्त अनियमितताओं के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया । आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 21–9–2015 को आदेश पारित कर यह पाते हुये कि अपीलार्थी इकाई द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों, टेण्डर तथा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया गया है, जो म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है, अपीलार्थी इकाई पर रूपये 50,000/– शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा लायसेंस की कौन सी शर्तो का उल्लंघन किया गया है और अधिनियम के किस नियम का वोयलेशन किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा आबकारी आयुक्त के कारण बताओ सूचना पत्र का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई विचार आबकारी आयुक्त द्वारा नहीं किया है । इस आधार पर कहा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है ।

अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आगजनो की घटना एक आकस्मिक घटना थी, जिसमें अपीलार्थी इकाई का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ईकाई द्वारा लायसेंस की शर्तो व अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों का उल्लघंन किया गया है, इसलिये आबकारी आयुक्त का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि शिवपुरी स्थित मद्यभाण्डागार में आगजनी की घटना घटित हुई है और जॉच में स्पष्ट रूप से पाया गया है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा अग्निशमन की व्यवस्था नहीं की गई थी, जो कि लायसेंस एवं अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य आवश्यकता थी, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी इकाई द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन एवं लायसेंस की शर्तो का वोयलेशन किये जाने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–09–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर